



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 04.11.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

शातिर गैंगस्टर अभियुक्त अम्बिका यादव व वीरेन्द्र कुमार यादव के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, 24 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की गयी जब्त



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 04.11.20 को थाना मितौली पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी अम्बिका यादव व वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ अतीत कुमार यादव पुत्रगण विश्राम यादव नि0गण ग्रा0 मोहम्मदपुर नगरा थाना मितौली जनपद खीरी के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत 2 4 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करके प्राप्त धन से अवैध रूप से अर्जित की गयी 18 बीघा भूमि शामिल है। अभियुक्त अम्बिका यादव व वीरेन्द्र कुमार यादव उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके विरूद्ध पूर्व से हत्या , हत्या का प्रयास , गैंगस्टर एक्ट आदि जघन्य अपराधों के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-

लगभग 18 बीघा भूमि कीमत लगभग 24 लाख रुपये है।

कुर्क करने वाली टीम-

1. अवधेश कुमार, तहसीलदार मितौली, खीरी
2. चन्द्रकान्त सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना मैंगलगंज खीरी
3. अनिल कुमार सैनी, थानाध्यक्ष मितौली खीरी
4. प्रेमचन्द्र, चौकी इंचार्ज फत्तेपुर, थाना मैंगलगंज खीरी
5. समस्त राजस्व एवं पुलिस टीम

थाना फरधान पुलिस द्वारा जिलाबदर अपराधी भास्कर पुत्र तेजपाल को अवैध शस्त्र कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

शीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में जनपद में वाछित/वारण्टी की गिरफ्तारी व जुर्म जरायम की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही के पर्यवेक्ष्य में शीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व शीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04/11/2020 को प्रभासी निरीक्षक के नेतृत्व में 30नि० राकेश कुमार सिंह मय हमराह 30नि० आशीष कुमार मय हमराह का० राम सुख यादव का० अंगद यादव ग्राम देवकली टावर के पास मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की थाना क्षेत्र का जिला बदर अपराधी भास्कर पुत्र तेजपाल नि० सासिया कालोनी देवकली थाना फरधान खीरी जिसे कि श्री मान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश सं० 1227/2015 अन्तर्गत धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम 1970 आदेश तिथि 19/10/2020 के द्वारा जिला बदर किया गया था किन्तु वह अभी भी अपने घर पर मौजूद है तथा कहीं जाने वाला है अतः मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अपराधी भास्कर उपरोक्त को नरैनापुर पुलिस के पास गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा देशी 12 बोर व 2 अदद जिन्दा 12 बोर कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध जिलाबदर होने का उल्लंघन करने पर थाना स्थानीय मु०अ०सं० 468/2020 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम व अवैध तमन्चा रखने पर मु०अ०सं० 469/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. भास्कर पुत्र तेजपाल नि० सासिया कालोनी थाना फरधान खीरी उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी माल :-

एक अदद देशी तमंचा 12 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

नरैनापुर पुलिस बहद ग्राम नरैनापुर थाना फरधान जिला खीरी समय करीब 07.25 बजे सुबह।

अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 83/15 धारा 392/411 भादवि थाना फरधान जिला खीरी
2. मु०अ०सं० 115/15 धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एवट थाना फरधान जिला खीरी
3. मु०अ०सं० 117/15 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना फरधान जिला खीरी
4. मु०अ०सं० 410/18 धारा 60(2) आवकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
5. मु०अ०सं० 592/19 धारा 60(2) आवकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
6. मु०अ०सं० 85/2020 धारा 60(2) आवकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
7. मु०अ०सं० 167/2020 धारा 60(2) आवकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
8. मु०अ०सं० 468/2020 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
9. मु०अ०सं० 469/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० विमल गौतम
2. 30नि० राकेश कुमार सिंह
3. 30नि० आशीष कुमार
4. का० रामसुख यादव
5. का० अंगद यादव
6. का० पंकज कुमार

थाना भीरा पुलिस द्वारा जिलाबदर अपराधी रंजीत पुत्र परशुराम को अवैध शस्त्र कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस विज्ञप्ति थाना भीरा जनपद खीरी

थाना भीरा का जिला बदर अपराधी को भीरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 486/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट व मु0अ0सं0 487/2020 धारा 10 गुण्डा एक्ट से संबंधित 01 नफर अभि0 रंजीत पुत्र परसुराम नि0 ग्राम बेलहा सिकटिहा थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा घलाये गये अपराधियों के विरुद्ध घरपकड़ के अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के परिदृश्य में दि0 04.11.2020 उ0 नि0 विनोद सिंह यादव मय हमराही हे0का0 समरजीत सिंह का0 ओम सिंह का0 नीरज कुमार थाना भीरा देखभाल क्षेत्र व रोकथान जुर्म जरायम तलाश वाचित वारण्टी के दौरान भीरा थाना बीट क्षेत्र-III में मामूर थे तभी अचानक सुबह करीब 8.00 बजे सुबह एक व्यक्ति फुटहा की ओर नहर की पटरी पर देशी शराब के खोखा के पास से जाता हुआ दिखाई दिया जिसे घेरकर पकड़ लिया गया जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम रंजीत पुत्र परसुराम नि0 ग्राम बेलहा सिकटिहा थाना भीरा जनपद खीरी जिसकी जामा तलाशी से एक अदद अदद नजायज तमन्चा 15 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 15 बोर बरामद किया गया है गिरफ्तार अभि0 के विरुद्ध नियमानुस मु0अ0सं0 486/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट व मु0अ0सं0 487/2020 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना भीरा खीरी पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 486/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना भीरा खीरी
2. मु0अ0सं0 487/2020 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना भीरा खीरी बनाम रंजीत पुत्र परसुराम नि0 ग्राम बेलहा सिकटिहा थाना भीरा जनपद खीरी

बरामदगी विवरण

01 अदद नजायज तमन्चा 15 बोर मय 01 अदद जिन्दा 15 बोर कारतूस

अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-12/2016 धारा 354/506 भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट थाना भीरा खीरी
2. मु0अ0सं0 -486/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना भीरा खीरी
3. मु0अ0सं0- 487/2020 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना भीरा खीरी
4. मु0अ0सं0-27/2016 धारा 10 जी सी0आर0पी0सी थाना भीरा खीरी

पुलिस टीम:-

1. उ0 नि0 श्री विनोद सिंह यादव
2. हे0का0 समरजीत सिंह
3. का0 ओम सिंह
4. का0 नीरज कुमार

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त गुड्डू को अवैध तमंचे व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र नसर अली नि० श्रीनगर थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 427/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **120 लीटर अवैध कच्ची शराब, 05 शराब भट्टी बरामद कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना भीरा	80 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना फरधान	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना नीमगांव	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मोहम्मदी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	120 लीटर	08 अभियुक्त गिरफ्तार